तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 86/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
28.03.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) दिनेश कुमार घांची पुत्र श्री दलपतराम, जाति–घांची, निवासी– बस स्टेण्ड, वाटेरा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज, जिला– सिरोही जरिये प्रोपराईटर जितेन्द्र कुमार के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 21–10–2021 को फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार घांची पुत्र श्री दलपतराम, जाति– घांची, निवासी– बस स्टेण्ड़, वाटेरा से से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (sorath) के 500–500 एम.एल. कै पैक्ड कंटेनर/जारों का नमूना संख्या S-1497 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./703/Act/2021/ 803 दिनांक 03–11–2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची की फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणा वास, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से जरिये बिल इनवोईस नम्बर 825 दिनांक 14.10.2021 से क्रय किया जाना पाया जाने से इस प्रकरण में अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम. एल. के पैक्ड जारों के विक्रय हेतु फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध करने के संबंध में फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणा वास, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को उक्त अधिनियम की धारा 78 के तहत पक्षकार बनाया जाकर फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणा वास, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– ......पेज दो पर	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 86/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सिरोही के प्रोपराईटर को अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के विक्रय व उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध करने के संबंध में नोटिस जारी किया जाकर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही जरिये प्रोपराईटर की ओर से भी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये, लेकिन प्रकरण में प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स की ओर से जवाब नही करने से प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में दिनांक 25.03. 2025 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची की फर्म दिनेश किराणा स्टोर में खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) का नमूना जांच हेतु लेने की कार्यवाही मौके पर निष्पादित नही की है एवं न ही विधि अनुसार नमूना लेने की कार्यवाही की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची के खाली प्रपत्रों पर केवल हस्ताक्षर करवाये थे। नमूनें का सील चपडी करने की कार्यवाही भी मौके पर नही की गई है। यह कि प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची ने Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम.एल. के प्लास्टिक के पैक्ड कंटेनरों को फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणा वास, सरुपगंज, जिला– सिरोही से जरिये बिल ईनवोईस नम्बर 825 दिनांक 14.10.2021 से पैकिंग अवस्था में क्रय किये गये थे एवं प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज द्वारा भी दूसरी फर्म से जरिये बिल क्रय किया था। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को प्रेषित नही की गई है, जिससे प्रतिवादीगण रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघंन है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त Ghee (Sorath Brand) का निर्माण व पैकिंग नही की गई है एवं अमानक Ghee (Sorath Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु Ghee (Sorath Brand) की निर्माता/पैकर फर्म दोषी है, लेकिन इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त Ghee (Sorath Brand) की निर्माता/पैकर फर्म को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रतिवादीगण को इस प्रकरण से दोषमुक्त कर Ghee (Sorath Brand) की निर्माता फर्म को दोषी मानते हुए निर्माता फर्म को तलब किया जावे एवं प्रतिवादीगण को दोषमुक्त किया जावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 21.10.2021 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा जिला– सिरोही पर गये। फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज में प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची पुत्र श्री दलपतराम,	

......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 86/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	जाति– घांची, निवासी– वाटेरा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में आम जन को विक्रय करने हेतु खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम. एल. के 19 पैक्ड जार (प्लास्टिक) रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु Ghee (Sorath Brand) को क्रय करने की सूचना गवाह श्री सिद्धार्थ, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची को प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए की एक प्रति पर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार घांची, गवाह श्री सिद्धार्थ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुये है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज की दुकान में आलमारी की रैक में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम.एल. के 19 पैक्ड जारों (प्लास्टिक) में से खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम. एल. के 4 पैक्ड जारों (प्लास्टिक) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 720/– (अक्षरे रुपये सात सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार घांची को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार घांची, उक्त गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार घांची व गवाह श्री सिद्धार्थ के समक्ष लेबल तैयार कर इन लेबलों पर नमूना लेने का स्थान, दिनांक, नमूना संख्या S-1497, खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) का विवरण आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार घांची व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Ghee (Sorath Brand) के खरीदशुदा चारों पैक्ड जारों पर एक–एक लेबल गोंद से नियमानुसार चिपकाया और उक्त Ghee (Sorath Brand) के चारों पैक्ड जारों/नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए विधिवत सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकरी द्वारा Ghee (Sorath Brand) के चारों नूमना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार घांची व उक्त गवाह तथा श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 86/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

एवं Ghee (Sorath Brand) के चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.–10–2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 21–10–2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म दिनेश कुमार घांची, पटेल गली, सरुपगंज में प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची से खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के नमूना संख्या S-1497 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./703/Act/2021/803 दिनांक 03.11.2021 में खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची की फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम. एल. के पैक्ड जारों को फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणा वास, सरुपगंज, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से जरिये बिल इनवोईस नम्बर 825 दिनांक 14. 10.2021 से क्रय किया गया था, लेकिन प्रकरण में प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज, जिला– सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची की फर्म दिनेश किराणा स्टोर, पटेल गली, सरुपगंज द्वारा उक्त Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज से जरिये बिल पैकिंग अवस्था में क्रय किये गये थे एवं श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2021 को उक्त Ghee (Sorath Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु पैकिंग अवस्था में ही प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची से कीमतन क्रय किये गये थे। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 के अनुसार प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज दोषी है।

.......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 86/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी दिनेश कुमार घांची को दोषमुक्त करते हुए हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Sorath Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म जितेन्द्र ट्रेडर्स, मीणावास, सरुपगंज को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.5..2025 को पेश हो। **(डॉ. दिनेश राय सापेला)** **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट** **एवं न्याय निर्णयन अधिकारी,** **सिरोही**	

अपर जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)